



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20012026-269464  
CG-MH-E-20012026-269464

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 247]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 7 जनवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 275(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग (ii) खंड 03, उपखंड (ii) तारीख 17 अप्रैल 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1802 (अ) तारीख 17 अप्रैल 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “वर्धा - नागपुर चौथी रेलवे लाइन” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20(क) की उप धारा (4) के अधीन “दैनिक जनसंग्राम” और “दैनिक आर्वी टाइम्स” में तारीख 29मई 2025 को प्रकाशित किया गया था और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में विशेषरेल परियोजना “वर्धा-नागपूर चौथी रेल्वे लाईन” की विशेष रेल्वे परियोजना के अंतर्गत वर्धा से सेलू रोड सेक्शन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ क्र	भू-संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भू-धारण पद्धति	आखीव पत्रिका के अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	01/LAQ47/23-24	चिंचाला	वर्धा	१) भारतीय खाद्य निगम, वर्धा	५९	१	१४.१४	०.०३९३
2	01/LAQ47/23-24	चिंचाला	वर्धा	२) उद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन तर्फे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल	६०	१	४.८२	०.०५९८
						कुल	१८.९६ (हे. आर.)	०.०९९१ (हे. आर.)

[फा. सं. G197/Wardha-Nagpur 4th Line/Chinchala VIg/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**(Central Railway)**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 7th January, 2026

**Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008**

**S.O. 275(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 1802 (E) dated the 17 April 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 17 April 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008)), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Wardha- Nagpur 4<sup>th</sup> line”** in the district of Wardha in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely **"Dainik Jansangram"** And **"Dainik Arvi Times"** Dated 29 May 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further in pursuance the sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in Central Government free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project **“Wardha- Nagpur 4<sup>th</sup> line”** under which Wardha - Seloo Road Section in the district Wardha of the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land acquisition Case no	Name of the village	Taluka	Name of landholder	Survey No.	Land holding Method	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquiring area (Ha.)
1	01/LAQ47/23-24	Chinchala	Wardha	Indian Food Corporation Wardha	59	1	14.14	0.0393
2	01/LAQ47/23-24	Chinchala	Wardha	Maharashtra Industrial Development Corporation by Government of Maharashtra	60	1	4.82	0.0598
						<b>Total</b>	<b>18.96 (Ha.)</b>	<b>0.0991 (Ha.)</b>

[F. No. G197/Wardha-Nagpur 4th Line/Chinchala VIg/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)